न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगौती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

0पत्र संख्या–09/2020

0पत्र प्रविष्टि दिनांक–06.02.2020

र्णय दिनांक–27.02.2025

सिराजुद्दीन खान पुत्र भूरा खां उर्फ भूरे खान जाति मुसलमान निवासी प्यावडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

नसरूद्दीन मोहम्मद पुत्र भूरा खां उर्फ भूरे खान जाति मुसलमान निवासी प्यावडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 0, 826, 966, 988/1, 1341, 1342, 1343/2, 1347, 1355, 1375, 1382, 1383, 1394, 1558, 1565, 67, 1578/1824 कुल किता 17 कुल रकबा 36–12 बीघा व भूमि आराजी ख0न0 1144, 1407, 1555, 66 कुल किता 04 कुल रकबा 14–02 बीघा व ख0न0 1577 गै.मु. चाह वाके ग्राम प्यावडी में स्थित है। वेदकगण उक्त वर्णित आराजीयात के मालिक, स्वामी, खातेदार, काबिज काश्तकार है। उक्त राजीयात में प्रार्थीगण के नाम क्रमशः सिराजुद्दीन, नसरूद्दीन पि0 भूरा खां अंकित हो रखा है तथा 0न0 1577 रकबा 00–04 बीघा किस्म गै.मु. चाह वाके ग्राम प्यावडी में स्थित है। उक्त खाते में वेदकगण का नाम क्रमशः सिराजुद्दीन पुत्र भूरे खां व नसरूद्दीन पुत्र भूरे खां अंकित हो रखा है। 0न0 1575 रकबा 01–16 बीघा वाके ग्राम प्यावडी में आवेदकगण का नाम सिराजुद्दीन पुत्र भूरा खां

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

कित हो रखा है। इस प्रकार भूमि आराजी ख0न0 989, 1161, 1333 कुल किता 03 कुल रकबा 09–10 घा वाके ग्राम प्यावडी आवेदकगण की पत्नियो के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें मेहरूनिशा पत्नि राजुद्दीन, खेरूनिशा बानो पत्नि नसरूद्दीन अंकित हो रखा है। जबकि आवेदकगण के नाम से जो धार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता तथा सर्विस रिकॉर्ड है। उनमें आवेदक संख्या 01 ा नाम सिराजुद्दीन खान अंकित हे। इसी प्रकार आवेदक संख्या 02 का नाम नसरूद्दीन मोहम्मद कित हो रखा है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व कॉर्ड में आवेदक संख्या 01 का सही नाम सिराजुद्दीन खान पुत्र भूरा खां उर्फ भूरे खान व आवेदक ख्य 02 का सही एवं वास्तविक नाम नसरूद्दीन मोहम्मद पुत्र भूरा खां उर्फ भूरे खान अंकित करवाया ाकर राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक दुरूस्ती करवायी जावे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी हसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट स्तुत कर निवेदन किया की ग्राम प्यावडी के खाता संख्या 659 किता 17 रकबा 36–12 बीघा व खाता ख्या 660 किता 01 रकबा 00–04 बीघा व खाता संख्या 661 किता 04 रकबा 14–02 बीघा वाके ग्राम ावडी की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–75 स्थायी 2077 वर्ष 2020 में आवेदक सह खातेदार दर्ज कॉर्ड है। उक्त आराजी में आवेदकगण का नाम खाता संख्या 659 व 660 में सिराजुद्दीन पुत्र भूरा खां नसरूद्दीन पुत्र भूरा खां तथा खाता संख्या 661 में सिराजुद्दीन पुत्र भूरे खां, नसरूद्दीन पुत्र भूरे खां र्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 104 किता 01 रकबा 01–16 बीघा में सिराजुद्दीन पुत्र भूरा खां दर्ज रिकॉर्ड । खाता संख्या 429 किता 03 कुल रकबा 09–10 बीघा में मेहरून्निसा पत्नि सिराजुद्दीन व खेरून्निसा ानो पत्नि नसरूद्दीन दर्ज रिकॉर्ड है। आवेदकगण के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, शैक्षणिक ोग्यता तथा सर्विस रिकॉर्ड में आवेदकगण का नाम सिराजुददीन खान पुत्र भूरे खान तथा नसरूद्दीन ोहम्मद पुत्र भूरे खान अंकित है। खाता संख्या 659, 660, 661, 104 व 429 में संलग्न दस्तावेज अनुसार ार्थीगण का नाम सिराजुद्दीन खान पुत्र भूरे खान तथा नसरूद्दीन पुत्र भूरे खान किया जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष ुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि ाराजी ख0न0 440, 826, 966, 988/1, 1341, 1342, 1343/2, 1347, 1355, 1375, 1382, 1383, 1394, 558, 1565, 1567, 1578/1824 कुल किता 17 कुल रकबा 36–12 बीघा व भूमि आराजी ख0न0 1144, 407, 1555, 1566 कुल किता 04 कुल रकबा 14–02 बीघा वाके ग्राम प्यावडी, पटवार हल्का प्यावडी ह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के आवेदकगण का उक्त वर्णित आराजीयात ी हक हिस्सा निहित है। उसके आवेदकगण मालिक, स्वामी, खातेदार, काबिज काश्तकार है। उक्त आराजीयात में आवेदकगण का नाम क्रमशः सिराजुद्दीन, नसरूद्दीन पि0 भूरा खां अंकित हो रखा है तथा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

ख0न0 1577 रकबा 00–04 बीघा किस्म गै.मु. चाह वाके ग्राम प्यावडी, पटवार हल्का प्यावडी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त खाते में आवेदकगण का नाम क्रमशः सिराजुद्दीन पुत्र भूरे खां व नसरूद्दीन पुत्र भूरे खां अंकित हो रखा है। ख0न0 1575 रकबा 01–16 बीघा वाके ग्राम प्यावडी में आवेदकगण का नाम सिराजुद्दीन पुत्र भूरा खां अंकित हो रखा है। इस प्रकार भूमि आराजी ख0न0 989, 1161, 1333 कुल किता 03 कुल रकबा 09–10 बीघा वाके ग्राम प्यावडी आवेदकगण की पत्नियो के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें मेहरूनिशा पत्नि सिराजुद्दीन, खेरूनिशा बानो पत्नि नसरूद्दीन अंकित हो रखा है। जबकि आवेदकगण के नाम से जो आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता तथा सर्विस रिकॉर्ड हे। उनमें आवेदक संख्या 01 का नाम सिराजुद्दीन खान अंकित हे। इसी प्रकार आवेदक संख्या 02 का नाम नसरूद्दीन मोहम्मद अंकित हो रखा है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक संख्या 01 का सही नाम सिराजुद्दीन खान पुत्र भूरा खां उर्फ भूरे खान व आवेदक संख्य 02 का सही एवं वास्तविक नाम नसरूद्दीन मोहम्मद पुत्र भूरा खां उर्फ भूरे खान अंकित करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक दुरुस्ती करवायी जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम प्यावडी के खाता संख्या 659 किता 17 रकबा 36–12 बीघा व खाता संख्या 660 किता 01 रकबा 00–04 बीघा व खाता संख्या 661 किता 04 रकबा 14–02 बीघा वाके ग्राम प्यावडी की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–75 स्थायी 2077 वर्ष 2020 में आवेदक सह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी में आवेदकगण का नाम खाता संख्या 659 व 660 में सिराजुद्दीन पुत्र भूरा खां व नसरूद्दीन पुत्र भूरा खां तथा खाता संख्या 661 में सिराजुद्दीन पुत्र भूरे खां, नसरूद्दीन पुत्र भूरे खां दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 104 किता 01 रकबा 01–16 बीघा में सिराजुद्दीन पुत्र भूरा खां दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या 429 किता 03 कुल रकबा 09–10 बीघा में मेहरून्निसा पत्नि सिराजुद्दीन व खेरून्निसा बानो पत्नि नसरूद्दीन दर्ज रिकॉर्ड है। आवेदकगण के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता तथा सर्विस रिकॉर्ड में आवेदकगण का नाम सिराजुद्दीन खान पुत्र भूरे खान तथा नसरूद्दीन मोहम्मद पुत्र भूरे खान अंकित है। खाता संख्या 659, 660, 661, 104 व 429 में संलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थीगण का नाम सिराजुद्दीन खान पुत्र भूरे खान तथा नसरूद्दीन पुत्र भूरे खान किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी अंकतालिका व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं की प्रार्थीगण का शुद्ध नाम सिराजुद्दीन खान पुत्र भूरे खान व नसरूद्दीन मोहम्मद पुत्र भूरे खान है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 440, 826, 966, 988/1, 1341, 1342, 1343/2, 1347, 1355, 1375,

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

1382, 1383, 1394, 1558, 1565, 1567, 1578/1824 कुल किता 17 कुल रकबा 9.2561 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 1144, 1407, 1555, 1566 कुल किता 04 कुल रकबा 3.5659 हैक्ट., ख0न0 1577 रकबा 0.0506 हैक्ट. किस्म गै.मु. चाह, ख0न0 1575 रकबा 0.4552 हैक्ट. वाके ग्राम फयावडी, पटवार हल्का फयावडी में प्रार्थीगण का नाम "सिराजुद्दीन पुत्र भूरा खां ,नसरूद्दीन पुत्र भूरा खां, सिराजुद्दीन पुत्र भूरे खां व नसरूद्दीन पुत्र भूरे खां दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः संलग्न दस्तावेजो व तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट के आधार पर **खाता संख्या 104, 659, 660, 661 वाके ग्राम फयावडी, पटवार हल्का फयावडी** में प्रार्थीगण के त्रुटीपूर्ण नाम **"सिराजुद्दीन पुत्र भूरा खां, नसरूद्दीन पुत्र भूरा खां व सिराजुद्दीन पुत्र भूरे खां, नसरूद्दीन पुत्र भूरे खां"** के स्थान पर **सिराजुद्दीन खान पुत्र भूरे खान व नसरूद्दीन मोहम्मद पुत्र भूरे खान"** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणपत [illegible]ती)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner